न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 20/**2021** अपील (राजस्व)

1. श्री दल्ला पिता भेरा जी डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील बड़गांव, जिला–उदयपुर
2. गेगराज पिता भेरा डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील बड़गांव, जिला–उदयपुर

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री देवा पिता नवला जी डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
2. श्री चतरा पिता नवला डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
3. श्री रामा पिता फता जी डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
4. श्रीमती प्यारी पत्नी फता जी डांगी निवासी–सियालपुरा (लखावली), तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
5. श्रीमती भागु(पिता फता जी) पत्नी लक्ष्मीलाल डांगी निवासी–डांगीयों का गुड़ा, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
6. श्रीमती केसी(पिता फता जी) पत्नी सुरेश जी डांगी निवासी–थुर, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध आदेश सहायक भ–अभिलेख अधिकारी, उदयपुर दिनांक 03.06.1977 परिशोधन ख.प.च.न. 2(ग) मौजा लखावली, तहसील गिर्वा

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लखावली, तहसील गिर्वा के साबिक आराजी नंबर 2398/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

2398/2 रकबा 8 विस्बा जिसके हाल आराजी नंबर 4473 रकबा 0.2900 हैक्टेयर स्थित है। इन आराजीयात में किशनलाल पिता सालगराम जी 1/2 हिस्से के खातेदारी थे। किशनलाल ने अपनी 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 16.06.1976 को अपीलाण्ट के पिता भेरा पिता रूपा व देवा, चतरा, फता पिता नवला जी डांगी को विक्रय कर सौंप दिया गया है। किशनलाल जी के 1/2 हिस्से में से देवा, चतरा, फता पिता नवला जी ने 2/3 हिस्सा अपीलाण्टगण के पिता भेरा ने 1/3 हिस्सा खरीदा है तब से ही इस हिस्से अनुसार अपीलाण्टगण के पिता भेरा 1/3 हिस्से पर व देवा, चतरा, फता पिता नवला 2/3 हिस्से पर काबिज चले आये है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर देवा, चतरा, फता पिता नवला ने जो परिशोधन ख.प.न. 6, 2(ग) खोला जाकर स्वीकृत किया गया उसमें जानबुझकर अपीलाण्टगण के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दर्ज नहीं कराया है जबकि अपीलाण्टगण ये समझ रहे थे कि भेरा पिता रूपा का भी विक्रय पत्र में नाम अंकित है व पटवारी हल्का द्वारा भी कथित परिशोधन खोलने के समय कथित विक्रय पत्र में अपीलाण्टगण के पिता भेरा का नाम दर्ज है फिर भी विक्रय पत्र को बिना देखे ही इन्द्राज रद्दोबदल करने का आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। यदि विक्रय पत्र को पुरा पढ़ा जाता तो पता चलता कि भेरा पिता रूपा का खातेदार किशनलाल के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा खरीदने का उल्लेख किया है। अपीलाण्टगण के पिता भेरा की मृत्यु हो गई है व अपीलाण्टगण भेरा के हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है व अभी भी काबिज है। कथित रददोबदल में देवा, चतरा, फता पिता नवला का 1/2 हिसा अंकित किया गया है जबकि इन्होंने किशनलाल से 1/2 हिस्सा नहीं खरीदा है, बल्कि किशनलाल के 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्सा ही खरीदा है तथा शेष 1/3 हिस्सा अपीलाण्टगण के पिता द्वारा खरीदा गया है जो विक्रय पत्र से स्पष्ट जाहिर है। फता की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 है। अपीलाण्टगण को जमाबन्दी की आवश्यकता होने से दिनांक 23.02.2021 को पटवारी से नकल लेने गये तो पटवारी द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट नंबर 1 से 6 के नाम दर्ज है तथा यह इन्द्राज कथित परिशोधन ख.प.न. 6, 2(ग) के जरिये इनके नाम दर्ज की गई है, जिस पर अपीलाण्टगण ने कथित परिशोधन ख.प.न. 6, 2(ग) की नकल लेने हेतु दिनांक 23.02.2021 को दी गई। अतः अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित ओदश निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अपीलाण्टगण का व 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

बहस अधिवक्ता अपीलाण्टगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्टगण की मौजा लखावली तहसील गिर्वा के साबिक आराजी नंबर 2398/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नंबर 2398/2 रकबा 8 विस्बा जिसके हाल आराजी नंबर 4473 रकबा 0.2900 हैक्टेयर स्थित है। इन आराजीयात में किशनलाल पिता सालगराम जी 1/2 हिस्से के खातेदारी थे। किशनलाल द्वारा दिनांक 16.06.1976 को अपीलाण्टगण के पिता भेरा को 1/3 हिस्सा तथा देवा, चतरा, फता को 2/3 हिस्सा विक्रय किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर देवा, चतरा, फता पिता नवला ने जो परिशोधन ख.प.न. 6, 2(ग) खोला जाकर स्वीकृत किया गया है उसमें जानबुझकर अपीलाण्टगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया है जबकि भेरा पिता रूपा का नाम भी विक्रय पत्र में अंकित है। यदि विक्रय पत्र को पुरा पढ़ा जाता तो पता चलता कि किशनलाल के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा भेरा पिता रूपा के नाम तथा 2/3 हिस्सा देवा, चतरा, फता पिता नवला के नाम खरीदने का उल्लेख है इसके बावजूद भी कथित रद्दोबदल विक्रय पत्र के इन्द्राज को लिखे बिना पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा 1/3 हिस्सा अपीलाण्टगण के नाम तथा 2/3 हिस्सा दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे।

साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में बहस अपीलाण्टगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मौजा लखावली के साबिक आराजी नम्बर 2398/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 2398/2 रकबा 8 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 4473 रकबा 0.2900 हेक्टेयर मे से श्री किशनलाल पिता सालगराम पालीवाल का 1/2 हिस्सा था जिसका जरिये विक्रय लेख दिनांक 16.06.1976 को निष्पादन किया गया एवं दिनांक 05.07.1976 को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त विक्रय विलेख अनुसार श्री किशनलाल पिता सालगराम पालीवाल द्वारा अपने 1/2 हिस्से मे से 2/3 हिस्सा देवा, चतरा, फता का व 1/3 हिस्सा भेरा पिता रूपा डांगी निवासी सियालपुरा के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया है किन्तु सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा स्वीकृत [illegible]रण दिनांक 03.06.77 में श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested

किशनलाल पिता सालगराम द्वारा विक्रित भाग (1/2 हिस्सा) के नामान्तरण में देवा, चतरा, फता पिता नवला के नाम अंकित है जबकि विक्रय लेख अनुसार देवा, चतरा, फता पिता नवला 2/3 हिस्सा व भेरा पिता रूपा डांगी का 1/3 हिस्सा अंकित किया जाना चाहिए था।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को इन निर्देशों के साथ पुनःप्रेषित किया जाता है कि वह नये सिरे से विक्रय पत्र तादादी 800 रुपये दिनांक 16.06.1976 के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:57 IST
Reason: SelfAttested